



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266818
CG-DL-E-09102025-266818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4466]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947

No. 4466]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4595(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालापल्ली जिले में NH-353C के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 92.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् आरडीओ भूपालपल्ली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालापल्ली जिले में NH-353C के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 92.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: जयशंकर भूपालापल्ली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: (भुपालपल्ली)					
गांव का नाम: मोरांचापल्ली					
1	334	निजी (पट्टा)	कृषि (सूखा)	466.735 (वर्ग मीटर)	0.0466735
तालुक का नाम: घनपुर (मुलुग)					
गांव का नाम: चेलपुर					
2	1050	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	56.654 (वर्ग मीटर)	0.0056654
3	1051	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र हाउसेस)	328.973 (वर्ग मीटर)	0.0328973
4	1059	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	356.469 (वर्ग मीटर)	0.0356469
5	1060	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	320.085 (वर्ग मीटर)	0.0320085
6	1061	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	10 (वर्ग मीटर)	0.001
7	1062	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	765.486 (वर्ग मीटर)	0.0765486
8	1063	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	452.871 (वर्ग मीटर)	0.0452871
9	1064	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	430.57 (वर्ग मीटर)	0.043057
10	1065	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	1098.63 (वर्ग मीटर)	0.109863
11	canal	सरकारी (गवर्नमेंट)	केनल	204.406 (वर्ग मीटर)	0.0204406
तालुक का नाम: (रेगोण्डा)					
गांव का नाम: भगीरथपेटा					
12	298	निजी (पट्टा)	कृषि (सूखा)	10 (वर्ग मीटर)	0.001
13	300	निजी (पट्टा)	कृषि (सूखा)	490.531 (वर्ग मीटर)	0.0490531
गांव का नाम: रमणगुडेम					
14	766	निजी (पट्टा)	कृषि (सूखा)	86.927 (वर्ग मीटर)	0.0086927
15	767	निजी (पट्टा)	कृषि (सूखा)	1636.36 (वर्ग मीटर)	0.163636

16	782	निजी (पट्टा)	कृषि (सूखा)	45.987 (वर्ग मीटर)	0.0045987
17	783	निजी (पट्टा)	कृषि (सूखा)	49.968 (वर्ग मीटर)	0.0049968
18	784	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	598.534 (वर्ग मीटर)	0.0598534
Total					0.7409186

[फा. सं. DB/D1/EE/R&B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2025

S.O. 4595(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-353C in the stretch of land from Km. 67.000 to Km. 92.000 in the district of JAYASHANKAR BHUPALPALLY in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, RDO Bhupalpally in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-353C in the stretch of land from Km. 67.000 to Km. 92.000 in the district of JAYASHANKAR BHUPALPALLY in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			District: JAYASHANKAR BHUPALPALLY		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhupalpally					
Village: Moranchapally					
1	334	Private (Patta)	Agriculture(Dry)	466.735 (Square Meter)	0.0466735

Taluk: Ghanpur(Mulug)					
Village: Chelpur					
2	1050	Private (patta)	Agriculture (wet)	56.654 (Square Meter)	0.0056654
3	1051	Private (patta)	Agriculture (wet houses)	328.973 (Square Meter)	0.0328973
4	1059	Private (patta)	Agriculture (wet)	356.469 (Square Meter)	0.0356469
5	1060	Private (patta)	Agriculture(Wet)	320.085 (Square Meter)	0.0320085
6	1061	Private (patta)	Agriculture(Wet)	10 (Square Meter)	0.001
7	1062	Private (patta)	Agriculture(Wet)	765.486 (Square Meter)	0.0765486
8	1063	Private (patta)	Agriculture(Wet)	452.871 (Square Meter)	0.0452871
9	1064	Private (patta)	Agriculture(Wet)	430.57 (Square Meter)	0.043057
10	1065	Private (patta)	Agriculture(Wet)	1098.63 (Square Meter)	0.109863
11	canal	Government	canal	204.406 (Square Meter)	0.0204406
Taluk: Regonda					
Village: Bhagirthpeta					
12	298	Private (patta)	Agriculture (dry)	10 (Square Meter)	0.001
13	300	Private (patta)	Agriculture (dry)	490.531 (Square Meter)	0.0490531
Village: Ramannagudem					
14	766	Private (patta)	Agriculture (dry)	86.927 (Square Meter)	0.0086927
15	767	Private (patta)	Agriculture (dry)	1636.36 (Square Meter)	0.163636
16	782	Private (patta)	Agriculture (dry)	45.987 (Square Meter)	0.0045987
17	783	Private (patta)	Agriculture (dry)	49.968 (Square Meter)	0.0049968
18	784	Private (patta)	Agriculture (wet)	598.534 (Square Meter)	0.0598534
Total					0.7409186

[F. No. DB/D1/EE/R&B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director